संख्या-60/2019/423/ सात-न्याय -9(बजट)-2019-800(62)/2015

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह-।।,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट लखनऊ दिनांक 08 अप्रैल, 2019

विषय- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में जनपद न्यायाधीश / अपर जनपद न्यायाधीशगण के न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष में वातानुकूलन (ए0सी0) की स्थापना के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में जनपद न्यायाधीश/अपर जनपद न्यायाधीशगण के न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष में संलग्न सूची के अनुसार कुल 38 जनपद न्यायालयों के लिए कुल रू0 4105.73 लाख (रूपये इक्तालीस करोड़ पॉच लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि का व्यय अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन -00-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-58/2019/500/सात-न्याय-9(बजट)-2019-1(ब)/2019, दिनांक 01-04-2019 के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से चरणबद्ध रूप से बजटीय व्यवस्था के दृष्टिगत किया जायेगा।

2- वातानुकूलन (ए0सी0) की स्थापना सुसंगत नियमा/शासनादेशों/निर्देशों के अनुरूप समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए किया जायेगा।

3- वातानुकूलन (ए0सी0) की आवश्यकता के सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन -00-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह-।।)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>सं0-60/2019/423(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2019, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- निजी सचिव, अध्यक्ष अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।

5- समस्त जनपद न्यायाधीश, उ0प्र0 ।

6- मुख्य कोषाधिकारी, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन, इलाहाबाद।

7- समस्त कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।

8- न्याय अनुभाग-2

9- वित्त ई-12

10- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।